नियमावली

1. [illegible] : राम देव डिग्री कालेज समिति
2. [illegible] : ग्रा० पड़िनापुर पो० [illegible] जौनपुर
3. संस्था का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :–

संस्था की सदस्यता निम्नवत होगी।

आजीवन सदस्य : वे व्यक्ति जो संस्था को 11000/– रू० नगद धनराशि या उससे अधिक मूल्य की चल अचल सम्पत्ति एक बार में देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगें।

सामान्य सदस्य : वे व्यक्ति जो संस्था को 1000/–रू० वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करेंगे वे संस्था के सामान्य सदस्य माने जायेंगें।

5. सदस्यता की समाप्ति : निम्न तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी।

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
- संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।
- अविश्वास प्रस्ताव या त्याग–पत्र प्राप्त होने पर।
- नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।
6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
7. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

6. संस्था के अंग : (अ) साधारण सभा
(ब) प्रबन्धकारिणी सभा

7. साधारण सभा

(क) गठन : संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर नियमावली के [illegible] के अनुसार साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक महीने में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

साधारण सभा की सामान्य बैठक के लिए सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सभी सदस्यों को यू०पी०सी० या सोसाइटी रजिस्टर पर लिखित रूप से दी जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

प्रतिलिपि कर्ता.........
मिलान कर्ता.........

[illegible] साधारण सभा की सामान्य [illegible] बैठक की गणपूर्ति सभी सदस्यों के [illegible] उपस्थिति से पूर्ण मानी जायेगी।

(ङ) संस्था का वार्षिक अधिवेशन – संस्था का वार्षिक अधिवेशन 25 [illegible] पर संस्था के कार्यालय पर हुआ करेगा।

(च) साधारण सभा के कर्तव्य –

1. संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा विचार के लिये भेजे गये प्रस्तावों, मामलों आदि पर विचार करना।
2. संस्था की स्थापना नीति, उसके कार्यक्रमों और योजनाओं का निर्धारण करना।
3. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन करना।
4. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया के लिये स्वीकृति प्रदान करना।

8. प्रबन्धकारिणी समितिः–

(क) गठन – प्रबन्धसमिति का गठन साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत द्वारा किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधक, उपप्रबंधक, कोषाध्यक्ष [illegible] 6 सदस्य समिति के सदस्य होगें।

(ख) बैठकें – प्रबन्धसमिति की सामान्य बैठक वर्ष में तीन बार तथा विशेष आवश्यक बैठक किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

(ग) सूचना अवधि – प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 7 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से 1 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

(घ) गणपूर्ति – प्रबन्धसमिति की सामान्य व विशेष आवश्यक बैठक की गणपूर्ति सभी सदस्यों के दो तिहाई उपस्थिति से पूर्ण मानी जायेगी।

(ङ) रिक्त स्थानों की पूर्ति – प्रबन्धकारिणी समिति में किसी भी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के स्थान रिक्त होने पर साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत द्वारा साधारण सभा के सदस्यों में से किसी योग्य सदस्य का निर्वाचन शेष अवधि के लिये कर लिया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज [illegible]

पशु चिकित्साधिकारी
[illegible]

रामदेव डिग्री कालेज
महिमापुर [illegible] नोपेड़वा [illegible]

प्रतिलिपि कर्ता.........